

UPKS040001962021



न्यायालय सिविल जज सी0डि0/एफ.टी.सी./अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कौशाम्बी।

परिवाद संख्या-109 / 2020

कविता देवी उर्फ सुन्दरी बनाम इतेश गुप्ता उर्फ रीतेश गुप्ता आदि

22.09.2022-

पत्रावली पेश हुयी। पत्रावली वास्ते बयान अंतर्गत धारा-200 दं0प्र0सं0 नियत है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादिनी द्वारा पर्याप्त अवसर प्राप्त करने के बाद भी स्वयं को दं0प्र0सं0 की धारा-200 के अंतर्गत परीक्षित नहीं कराया गया है। परिवादिनी द्वारा उक्त परिवाद मे कोई बल नहीं दिया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो से यह स्पष्ट है कि परिवादिनी के पास विपक्षीगण के विरुद्ध मामला चलाये जाने हेतु कोई साक्षी नहीं है। अतः यह परिवाद अन्तर्गत धारा-203 दं0प्र0सं0 खारिज किये जाने योग्य है।

:-आदेश:-

परिवाद अन्तर्गत धारा-203 दं0प्र0सं0 खारिज किया जाता है।
पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(सौम्या गिरी)

सिविल जज सी0डि0/एफ.टी.सी./
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कौशाम्बी।